INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 8.428 (SJIF 2026)

जलियांवालाबाग त्रासदी : एक विश्लेषण

(Jallianwala Bagh Tragedy: A Historical Analysis)

डॉ. प्रफुल्ल कुमार
सहायक प्राध्यापक,
इतिहास विभाग,
भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय,
मधेपुरा (बिहार, भारत)
E-mail: prafullkumar31271@gmail.com

DOI No. 03.2021-11278686 DOI Link :: https://doi-ds.org/doilink/04.2026-91262136/IRJHIS2604022

प्रस्तावना :

जलियाँवाला बाग की त्रासदी ने ब्रिटिश राज से गाँधी जी की अलगाववादी प्रक्रिया को और तेज किया तथा नाटकीय ढंग से भारतीय राजनीति की दिशा को भी बदल डाला। इस पूरे प्रकरण को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आवश्यक है कि उसके पूर्ववर्ती सप्ताह में अमृतसर में घटी घटनाओं का संक्षिप्त लेखाजोखा लिया जाए। भारत के अनेक नगरों की तरह अमृतसर में भी 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल हुआ। यह उस रॉलेट बिल के पास करने के विरोध में थी, जिसका 'इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल' के सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों समेत सभी भारतीय सदस्यों ने एकमत से विरोध किया था। चार दिन बाद 10 अप्रैल को दो स्थानीय नेता सत्यपाल और एस.डी. किचलू गिरफ्तार कर लिए गए और यहीं से दुःखद घटनाओं की श्रृंखला शुरू हुई। नंगे पैर और निःशस्त्र शोक–संतप्त लोगों की एक भीड़ दोनों नेताओं की रिहाई का आग्रह लेकर ब्रिटिश डिप्टी कमिश्नर के बंगले की ओर बढ़ी। एक सैनिक टुकड़ी ने इस जुलूस को रोका और उस पर गोलियाँ चलाईं। भीड़ पीछे हट गई, पर अब यह भीड़ शांतिपूर्ण नहीं थी। मृतकों और घायलों को देखकर कुछ गर्म मिजाज लोग बौखलाकर आपे से बाहर हो गए। उन्होंने एक डाकखाना, एक बैंक और एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन को जला डाला और निर्दोष यूरोपियों की हत्या कर दी। ब्रिगेडियर जनरल डायर के नेतृत्व में सेना के आ जाने पर ही नगर में व्यवस्था कायम हो सकी। अगले दो दिनों तक नगर में शांति रही और कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।

13 अप्रैल की बैसाखी का वार्षिक त्योहार था। चारों ओर से गाँवों के किसान सुबह स्वर्ण मंदिर में दर्शन के लिए और दिन में थोड़ा मौज–मस्ती और खरीदारी के लिए अमृतसर आए। उस दिन दोपहर बाद 4रू30 बजे जलियाँवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। यह बाग एक अनगढ़, उजाड़ जमीन का टुकड़ा था जो चारों ओर से मकानों से घिरा था। अलग–अलग अनुमानों के अनुसार इस सभा में 6000 से 20000 के बीच लोग जमा हुए। जनरल डायर ने इस सभा के बारे में सुना और इसे भंग करने का निश्चय किया। उसने दो बख्तरबंद कारें और 75 गुरखा एवं बलूच सैनिक साथ लिए। जलियाँवाला बाग का दरवाजा इतना सँकरा था कि बख्तरबंद कारें भीतर नहीं जा सकीं। डायर, राइफलों से सुसज्जित 50 सैनिकों के साथ भीतर घुसा और एक ऊँची जमीन पर खड़ा हो गया, जिसके सामने उथला मैदान लोगों से भरा हुआ था। उसके गर्म दिमाग में कल्पित विचार आए कि यह जमाव आंदोलनकारियों और सशक्त विद्रोहियों का है, जबकि चारों ओर के गाँवों से आए लोग इकट्ठा हुए थे। वे लोग भरपूर मजा ले रहे थे और एक ऊँचे मंच पर खड़े एक वक्ता की बातें सुन रहे थे। उनमें से बहुत कम को ज्ञात था कि सैनिक कमांडर के आदेश से नगर में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

पंजाब–सरकार के एक अनुमान के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए थे और 1200 घायल हुए थे। स्वयं सरकार के कथनानुसार, इस त्रासदी के चार महीने बाद, 24 अगस्त तक हताहतों की संख्या का पता लगाना आरंभ नहीं किया गया था। कांग्रेस जाँच–समिति ने, जिसमें भारत के सबसे प्रतिष्ठित अधिवक्ता मोतीलाल नेहरू, सी. आर. दास और एम. आर. जयकर शामिल थे और जिसकी रिपोर्ट का मसौदा गांधीजी ने तैयार किया था, अनुमान लगाया कि 1200 लोग मारे गए और इससे तिगुने घायल हुए थे।

इस नरसंहार के अगले दिन डायर ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में प्रमुख नागरिकों की एक बैठक को संबोधित किया। उसने आदेश दिया कि जिन दुकानों को गोलीबारी के विरोध में बंद किया गया है, उन्हें पुनः खोल दिया जाए। उसने पूछा, ''आप लोग युद्ध चाहते हैं या शांति? मेरे लिए फ्रांस या अमृतसर का मैदान एक जैसा है। मैं एक सैनिक हूँ और नाक की सीध में ही जाऊँगाः न मैं दाहिने मुड़ूँगा, न बाएँ। बोले, क्या तुम लड़ाई चाहते हो? यदि शांति चाहते हो तो मेरा आदेश है कि दुकानें तुरंत खोल दो अन्यथा उन्हें ताकत से तथा राइफलों से खोला जाएगा।''

इसके बाद तो और भी बुरा हुआ। 15 अप्रैल को न सिर्फ अमृतसर बल्कि पंजाब के अन्य कई नगरों में भी 'मार्शल लॉ' लागू कर दिया गया। दो महीने तक चली इस अमानवीय व्यवस्था की गहराई में जाने की जरूरत नहीं। अमृतसर में जनरल डायर का सबसे बदनाम आदेश यह था– भारतीयों को उस गली में पेट के बल रेंगना पड़ेगा जहाँ एक यूरोपीय महिला पर हमला किया गया था। लेकिन, लगभग सभी जगह नागरिकों को अनावश्यक अपमान सहने को विवश किया गया। यदि कोई यूरोपीय सड़क पर से जा रहा होता, तो भारतीय को अपनी सवारी से उतरना और उसे सलाम करना पड़ता थाः उनकी मोटर–कारें छीन ली जाती थीं। लाहौर में महाविद्यालयों के एक हजार छात्रों को मई की चिलचिलाती धूप में सोलह मील पैदल चलकर दिन में चार बार हाजिरी देने को मजबूर किया गया। जब एक महाविद्यालय में उपस्थित हर पुरुष को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसे बर्बर कदम उठाने और भारतीयों को जी भरकर अपमानित करने वाले सैनिक अधिकारियों का मानना था कि वे घोर संकट के समय में ब्रिटिश साम्राज्य के दुर्ग की रक्षा कर रहे हैं। उनमें से अधिकांश यूरोपीय और मध्यपूर्व के युद्ध–क्षेत्रों से लौटे थे और अधकचरी कार्यवाही उन्हें सहन नहीं थी। रवींद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने पंजाब की घटनाओं के विरोध में अपनी 'सर' की उपाधि वापस कर दी थी, समस्या की जड़ को ठीक ही पहचानाः ''जलियाँवाला बाग की घटना स्वयं एक दानवी महायुद्ध की दानवी संतति थी।''

सर माइकल ओ. डायर के नेतृत्ववाली पंजाब सरकार ने यह मान लिया था कि ब्रिटिश राज को उलटने के लिए यहाँ एक खतरनाक षड्यंत्र चल रहा है। जब वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सर माइकल को सलाह दी कि नाटकीय सजाओं से दूर रहा जाए तो उसका उत्तर था कि मार्शल लॉ को बच्चों के गुदगुदे हाथों से लागू नहीं किया जा सकता। बाद में सर माइकल ने पंजाब में विद्रोह की उसके जन्म के साथ ही कुचल देने का दावा भी किया, हालाँकि षड्यंत्र की धारणा को सरकारी गुप्तचर संस्थाओं ने भी स्वीकार नहीं किया था। जब बंबई पुलिस के महानिरीक्षक राबर्टसन ने भारत सरकार के गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक सी.आर. क्लीवलैंड को पत्र लिखकर पूछा कि क्या उन्हें किसी संगठित षड्यंत्र के कोई सुराग मिले हैं, तब क्लीवलैंड ने (23 मई 1919) उत्तर दिया ''अभी तक पंजाब में किसी संगठित षड्यंत्र के कोई सुराग नहीं मिले हैं। संगठित आंदोलन हुआ और कुछ विशेष स्थानों पर लोग अपना संतुलन खो बैठे।''

जनरल डायर ने अपने अगले बड़े अफसर जनरल बेनान को, हंटर समिति को, सैनिक परिषद को, और इंग्लैंड वापस आने के विषय में प्रेस को अपने बचाव में एक के बाद एक स्पष्टीकरण दिए जिनमें समरूपता नहीं थी। उसका यह कहना कि कुशल भारतीय वकील द्वारा की गई पूछताछ में वह हड़बड़ा गया था, ठीक नहीं लगता। जिन कुछ जवाबी वक्तव्यों ने उसके पक्ष को सबसे अधिक कमजोर किया वे थे हंटर समिति के ब्रिटिश सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब। डायर ने स्वीकार किया कि चेतावनी दिए बिना ही गोली चलाने के आदेश उसने दिए थे और जब भीड़ वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, तब भी उसने दस मिनट तक गोलीबारी जारी रखीः यदि वह मशीनगनों के भीतर ले जा सकता तो वह उन्हीं का इस्तेमाल करता। उसने यह भी माना कि उसके सैनिकों को कोई खतरा नहीं था गोलियाँ चलाए बिना भी वह भीड़ को भगा सकता था, लेकिन तब वे उसकी खिल्ली उड़ाते और उसे महसूस कराते कि वह बेवकूफ है। उसने उन्हें सबक सिखाने, आतंक पैदा करने और एक नैतिक प्रभाव डालने के लिए गोलियाँ चलाई थी। गोलियाँ खत्म हो जाने पर घायलों को उनके हाल पर छोड़कर वह वहाँ से चला गया था।

यह बहुत विचित्र है कि, गांधीजी और भारतीय राष्ट्रवादियों के ब्रिटिश राज से मोह–भंग का उतना बड़ा कारण पंजाब में डायर की क्रूरता और मार्शल लॉ से उत्पन्न नृशंसताएँ नहीं बनीं जितनी आगामी बारह महीनों में इस घटना पर ब्रिटिश प्रतिक्रियाएँ

बनीं। भारत–सरकार की पहली प्रवृत्ति 'मौके पर मौजूद व्यक्तियों' की कार्यवाही को उचित ठहराने की थी। पंजाब को राष्ट्र के शेष भागों से व्यवहारतः काट दिया गया। पड़ोसी प्रांतों के वकीलों तक को अनुमति नहीं दी गई कि वे मार्शल लॉ की अदालत में आरोपियों का बचाव करें। लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में बनी सरकारी जाँच समिति जातीय आधार पर विभाजित रहीः समिति जातीय आधार पर विभाजित रहीः समिति के तीन भारतीय सदस्यों ने ब्रिटिश सहयोगियों द्वारा हस्ताक्षरित बहुमत रिपोर्ट पर मतभेद व्यक्त किया। प्रतिष्ठित न्यायविद् और नरमदलीय राजनीतिज्ञ सर सी. एच. शीतलवाद ने, जो समिति के एक भारतीय सदस्य थे, अपने संस्मरणों में बताया है कि कैसे एक बहस के दौरान लॉर्ड हंटर ने उनके प्रति आपे से बाहर होकर कहा था, ''तुम लोग अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल देना चाहते हो।'' शीतलवाद के अनुसार, इसके बाद, यद्यपि भारतीय सदस्य और लॉर्ड हंटर एक ही छत के नीचे रहे, पर उन्होंने एक दूसरे से बात करना लगभग बंद कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत में अंग्रेजों के स्वामित्व मेंयूरोपीय सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित हंटर समिति की बहुमत रिपोर्ट में डायर को दो मुद्दों पर दोषी ठहराया गयाः एक यह कि उसने बिना चेतावनी दिए गोलियाँ चलाईं और दूसरा यह कि भीड़ के भागना शुरू करने के बाद भी वह गोलियाँ चलाता रहा। समिति ने महसूस किया कि भीड़ पर नैतिक प्रभाव छोड़ने का डायर का विचार अपने कर्तव्य के प्रति उसकी गलत अवधारणा का परिणाम था। समिति ने इस विचार को स्वीकार नहीं किया कि डायर ने अपनी कार्यवाही से पंजाब की स्थिति को संभाल लिया था और विद्रोह को 1857 के सैनिक विद्रोह समकक्ष स्तर पनपने से रोक दिया था।

भारत का राज्य–सचिव एड्विन मांटेग्यु, अब तक भारत में कार्यरत अपने अवर अधिकारियों का जोरदार पक्ष ले रहा था, लेकिन पंजाब में घटी घटनाओं की सच्चाई सामने आई, तो उसे एक धक्का लगा और वह उलझन में पड़ गया। उसने देखा कि भारतीय अभिमत से विमुख होने का अर्थ है उन संवैधानिक सुधारों की सफलता को नष्ट करना जिनके लिए वह दो वर्ष से मेहनत कर रहा था। उसने डायर को फौरन निलंबित करने का सुझाव दिया, और वायसराय से पूछा कि क्या पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओड्वायर पर डायर की कार्यवाही को समर्थन देने का दोष लगाया जा सकता है? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक अन्य सदस्य विंस्टन चर्चिल ने, जो युद्ध–संबंधी मामलों का राज्य–सचिव था, डायर के आचरण की गंभीरता से लिया। पर न तो मांटेग्यु और न ही चर्चिल अपना मनचाहा कर सके। वायसराय डायर के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने अथवा सर माइकल ओड्वायर की निंदा करने के पक्ष में नहीं था। लिहाजा इंग्लैंड की सैनिक परिषद् भी डायर के विरुद्ध यथासंभव हल्की कार्यवाही करने पर ही राजी हो सकीः उसे आधे वेतन पर पद–निवृत्त कर दिया गया और अंतिम निर्णय में कहा गया कि गलती करने के कारण भविष्य में उसे कोई नौकरी नहीं दी जाएगी।

हाउस आफ कामंस में चर्चिल ने इस विचार का मजाक उड़ाया कि डायर ने भारत को बचा लिया है। उसने कहा कि सिपाही विद्रोह के समय की तुलना में कहीं अधिक ब्रिटिश सेना इस समय भारत में थी और उनके पास वे यंत्र थे जो 1857 में अस्तित्व में नहीं थेः हवाई जहाज, रेल और वायरलैसः ये ऐसे साधन हैं जो कहीं भी आवश्यकतानुसार सेना एकत्र करने की सुविधा प्रदान करते हैं।

चर्चिल ने नैतिक पाठ पढ़ाने की डायर की घोषणा को 'आतंकवाद और डर पैदा करना' बताया, और जलियाँवाला बाग की त्रासदी को एक ऐसी नृशंस घटना कहा जो 'अपनी तरह की अकेली है और भयानकता में अद्वितीय मिसाल कायम करती है'। लेबर पार्टी के कुछ संसद सदस्यों ने और भी जोरदार शब्दों में डायर की निंदा की। कर्नल वेजवुड ने कहा, ''जॉन ऑफ आर्क'' को जलाए जाने के बाद इंग्लिश इतिहास पर यह सबसे बड़ा धब्बा है।''

सरकार के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि मांटेग्यु, चर्चिल और वेजवुड की आवाजें उस शोर में दब गईं जो इंग्लैंड और भारत में डायर के प्रशंसकों ने पैदा किया था। हाउस आफ कामंस में डायर की कार्यवाही की निंदा करनेवाले सरकारी प्रस्ताव के विरुद्ध 129 सदस्यों ने मत दिया। भारत में अव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाकर मांटेग्यु को चुप करा दिया गया और उसके त्यागपत्र की माँग की गई। संसद् के 93 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके एक प्रार्थनापत्र प्रधानमंत्री लायड जार्ज को दिया, जिसमें मंत्रिमंडल से मांटेग्यु के त्यागपत्र की माँग की गई। कनिष्ठ टोरी संसद सदस्य मांटेग्यु द्वारा डायर की आलोचना के कारण इतने... नाराज हो गए कि उनमें से कुछ उसकी पिटाई भी कर सकते थे। वे इतने नाराज हो गए कि उनमें लॉर्ड्स को हार का मुँह देखना पड़ा। मार्निंग पोस्ट ने डायर के समर्थन में चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। दिसंबर 1920 में मार्निंग पोस्ट के संपादक के एक पत्र के साथ डायर को 26317 पौंड का एक चौक प्राप्त हुआ। पत्र में लिखा थाः ''आपके आचरण को आपके देशवासियों की एक बड़ी संख्या

का समर्थन प्राप्त है, यद्यपि कोई भी धनराशि उतना ऋण अदा नहीं कर सकती जितना आपके प्रति साम्राज्य देनदार है।'' जो लोग डायर की 'भारत के उद्धारकर्ता' के रूप में वाहवाही कर रहे थे, वे ब्रिटेन के अल्पसंख्यक बड़बोला लोग थे। डायर की प्रशंसा करके वे बस यही विश्वास व्यक्त कर रहे थे कि एक भारतीय के जीवन की अपेक्षा एक यूरोपीय का जीवन कहीं अधिक मूल्यवान है और अंग्रेजों का ही मूल निवासियों पर शासन करने का ईश्वरप्रदत्त अधिकार है। पैक्स ब्रिटेनिका की एक सदी ने इस विश्वास को ताकत दी और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की विजय ने तो इस पुख्ता ही बना दिया। जैसा कि एक ब्रिटिश लेखक ने लिखा है: ''चेल्टनहॅम के सेवानिवृत मेजर और पिलको के रक्त–पिपासु कुँआरे जीत के नशे में पागल थे। डायर ब्रिटेन की जबरदस्त शक्ति और उसकी महानता में उनकी अन्य की एक प्रतीक बन गया था।''

गाँधीजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त जाँच समिति के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रमाण एकत्र करने और उन्हें क्रमबद्ध करने में तीन महीने लगाए थे, अतः पंजाब में हुई ज्यादतियों का निराकरण करने से सरकार के हठपूर्ण इंकार ने उन्हें गहरा आघात पहुँचाया। उन्हें तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं को जिस बात ने सबसे अधिक विचलित किया यह ब्रिटिश अफसरों की घबराहट में की गई कार्यवाही नहीं, बल्कि उस घटना के बाद ब्रिटिश शासक वर्ग की ठंडी प्रतिक्रिया थी। पंजाब के घटनाक्रम में उद्दीप्त प्रखर भावनाओं ने सशक्त रूप से ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को जन्म दिया गया और असहयोग आंदोलन में ईंधन का काम किया। द टाइम्स के सर वेलेंटाइन शिरोल ने, 1920 के उत्तरार्द्ध में भारत का दौरा किया और भारत के उदारपंथी जमनास पर भी पंजाब की घटना का जो औचित्यपूर्ण प्रभाव पड़ा, उसका सारांश एक पत्र में व्यक्त किया: ''यह धारणा मुझमें आत्मविश्वास के साथ उभरी है कि पंजाब का मुद्दा अभी भी पूरी स्थिति पर हावी है। दमन के अनेक तरीकों, तथ्यों की जाँच में हुई लंबी देरी, विलंब से की गई सरकारी निंदा और प्रावधानित दंड में लचीलेपन, पार्लियामेंट में रुख तथा इंग्लैण्ड और कुछ यूरोपीय क्षेत्रों में डायर की महिमा–गाथा ने भारत में गहरी कड़वाहट पैदा की।'' 1919 के सुधार, कानून के अंतर्गत स्थापित नए केंद्रीय विधानमंडल का उद्घाटन करने फरवरी 1921 में भारत आए, ड्यूक आफ कनाट ने भी यही कहा, ''अमृतसर की छाया भारत के स्वच्छ चेहरे पर दूर तक पड़ी हुई रहेगी।''

संदर्भ ग्रन्थ सूचि :

1. चौधरी खली कुजजमा, उत्तर प्रदेश का स्वतन्त्रता आंदोलन, पृ० 156–157
2. हुसैन अहमद मंदनी, पाकिस्तान क्या है?
3. डा० राजेन्द्र प्रसाद, उ० प्र०, पृ० 691–93
4. अबुल सईद बज्मी, मौलाना आजाद, तबासरा की निगाह में, पृ० 65